कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।
फोन न0.0135 2608106 फैक्स न0--2608108

संख्या 770 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1--8(34) / 2018 दिनांक: 15 फरवरी, 2018

सेवा में,

1--प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2-- मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग,
यमुना कॉलोनी, देहरादून।

विषयः **मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक 27--02--2017 को दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक 27--02--2017 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित ब्लैक स्पॉट speed calming measures आदि का स्थल निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 23--01--2018 को देहरादून जनपद के अन्तर्गत मसूरी क्षेत्र में (वुड स्टाक लण्डौर स्कूल के पास, किमोई / कफलानी के पास एवं मसराना, महारानी सुवाखोली से पहले) निर्मित speed calming measures का स्थल निरीक्षण किया गया। लीड एजेन्सी द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों का उल्लेख कार्यवृत्त में किया गया है।

अतः लीड एजेन्सी द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण की प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उपरोक्त सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या अनिवार्य रूप से 28--02--2018 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार मा0 समिति को अवगत कराया जा सके।

संलग्नः--यथोक्त।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या / प्रवर्तन / स0सु0 / 1--8(34) / 2017 समदिनांकित।

प्रतिलिपि--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1-- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2-- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3-- अधीक्षण अभियन्ता / नोडल अधिकारी, नवावृत्त, लोक निर्माण विभाग यनुना कॉलोनी, देहरादून।
4-- अधीशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग, खण्ड, डोईवाला, देहरादून।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 23–01–2018 को लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु किये गये उपायों के अन्तर्गत जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी क्षेत्र में निर्मित speed calming measures का स्थल निरीक्षण का कार्यवृत्तः–

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक 27–02–2017 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 23–01–2018 को देहरादून जनपद के अन्तर्गत मसूरी क्षेत्र में स्थापित किये गये speed calming measures का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के समय में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहें:–

लोक निर्माण विभाग:–

1– श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सदस्य लीड एजेन्सी।

शिक्षा विभाग:–

1–श्रीमती मधुवाला रावत, उप निदेशक, शिक्षा विभाग सदस्य लीड एजेन्सी।

पुलिस विभाग:–

1–श्री प्रबोध घिल्डियाल, निरीक्षक, पुलिस विभाग, सदस्य लीड एजेन्सी।

उक्त तिथि में राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा अपने–अपने अधीनस्थ क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण करवाया गया:–

1– श्री शिव सिंह रावत, सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोईवाला।

2– श्री खुशवंत शर्मा, अतिरिक्त सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड डोईवाला।

3– श्री शिवराज सिंह लोदियाल, कनिष्ठ अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड डोईवाला।

लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 23–01–2018 को मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर निम्नलिखित दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण किया गया जिनका विवरण निम्नवत है:–

1–वुड स्टाक लण्डौर स्कूल के पास:– NH Doiwala

AD-Road Safety

1.1 सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र व निर्धारित गति सीमा के बोर्ड नहीं लगाये गये हैं।

1.2 मार्ग पर थर्मोप्लास्टि रोड मार्किंग नहीं कराया गया है।

1.3 यह मार्ग काफी सकरा है। सड़क का चौड़ीकरण कराया जाना आवश्यक है।

1.4 सड़क के दोनों ओर रम्पल स्टिप कैट आई के साथ स्थापित किये जाने की आवश्यकता है तथा स्कूली बच्चों के लिए जेबरा कोसिंग मार्किंग किये जाने की आवश्यकता है।

1.5 कुछ स्थानों पर अतिकमण भी किया गया है। जिसको हटाये जाने की आवश्यकता है।

2–किमोई/कफलानी के पास:– NH / Doiwala

2.1 किमोई के पास तीव्र मोड़ है। रम्बल स्टिप के साथ गति अवरोधक लगाये जाने की आवश्यकता है तथा नीचे की तरफ मन्दिर तक दीबार लगाकर सड़क का चौड़ीकरण किये जाने की आवश्यकता है।

2.2 निर्धारित गति सीमा के बोर्ड नहीं लगाये गये हैं। दुर्घटना सम्भावित बोर्ड लगाये जाने की भी आवश्यकता है।

2.3 ~~कफलानी में दोनो ओर रम्बल स्टिप कैट आई के साथ गति अवरोधक लगाये~~

2.4 आबादी क्षेत्र व दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र के बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। सड़कों के किनारे कोस बेरियर लगे हैं लेकिन जहाँ पर कोस बेरियर नहीं हैं उन स्थानों पर डेलीनेटर लगायें जाने की परम आवश्यकता है।

3—मसराना (महारानी सुवाखोली से पहले):—

3.1 कुछ स्थानों पर पेराफिट व कोस बेरियर लगाये जाने की आवश्यकता है। निर्धारित गति सीमा के बोर्ड व दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।

3.2 सड़क के पास मंगल सिंह असवाल की दुकान है व जगत सिंह असवाल का मकान निमार्णाधीन है जो अतिकमण प्रतीत होता है। अतः इस सम्बन्ध में यथा शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

नोट— यह मार्ग जे0पी0 बेण्ड से बुड स्टाक लण्डौरा तक काफी संकरा है। इस सड़क पर यातायात आयतन के दृष्टिगत सड़क का चौड़ीकरण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस सड़क पर दुपहिया व चारपहिया वाहनों द्वारा ओवर स्पीड व शराब के नशे में वाहन चलाना दुर्घटनाओं का सम्भावित कारण है। अतः पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा नियमित प्रवर्तन की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

25/1/18	25-01-18	25/1/18
(प्रबोध घिल्डियाल)	(मधुबाला रावत)	(जे0पी0 गुप्ता)
निरीक्षक, पुलिस विभाग,	उप निदेशक, शिक्षा,	अधीक्षण अभियन्ता,
सदस्य लीड एजेन्सी।	सदस्य लीड एजेन्सी।	सदस्य लीड एजेन्सी।